न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जहानाबाद।
सत्रवाद वाद संख्या – 354/2013
परसबिगहा थाना कांड संख्या – 137/2020
राज्य बनाम् अजय सिंह उर्फ अजय चन्द्रवंशी वगैरह

27.01.2026 अभिलेख बचाव पक्ष की ओर से अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 में अभियोजन साक्षी संख्या 01. शिवपूजन सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या व 02. महेन्द्र सिंह को परीक्षण हेतु पुनः तलब किए जाने के लिए दाखिल आवेदन दिनांक 12.01.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन की प्रति पूर्व से लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है। अभियुक्तगण की हाजरी है।

अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत मामले में प्रतिपरीक्षण के दौरान भूलवश घटनास्थल के संबंध में उपरोक्त साक्षियों से प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका है, उक्त साक्षियों का इस बिन्दू पर प्रतिपरीक्षण किया जाना आवश्यक है। अन्त में उनके द्वारा उक्त दोनों गवाहों को प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः तलब किए जाने का निवेदन किया गया।

जबकि राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का घोर विरोध किया गया और कहा गया कि बचाव पक्ष द्वारा मामले में जानबूझ कर देरी पहुॅचाने के आशय से उक्त आवेदन अत्याधिक विलंब से दिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि कमियों को पूरा करने के लिए द0प्र0सं0 की धारा 311 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अन्त में, उनके द्वारा बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.01.2026 को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख तथा बचाव पक्ष के आवेदन व अभियोजन के प्रति–उत्तर का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

यहॉ पर द.प्र.सं. की धारा 311 का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत हो रहा है। द0प्र0सं0 की धारा 311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है।

इस धारा के अनुसार, कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जॉच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति की समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

उपरोक्त प्रावधान के सम्यक अवलोकन से दृष्टिगत होता है कि

Web Copy Jehanabad

लगातार
27.01.2026

मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकती है।

प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि इस मामले में सूचक शिवपूजन सिंह द्वारा दिनांक 07.01.2009 को इस आशय का फर्दबयान दिया गया था कि उसकी पोतहु शशीप्रभा प्राथमिक विद्यालय में न्यायमित्र के रूप में पढ़ाने का काम करती थी। सुबह को करीब 09 बजे वह विद्यायल से परीक्षण में भाग लेने के लिए चली थी और उसका पति महेन्द्र पुनपुन नदी पार कर कुछ दूर साथ छोड़कर चले आया था शाम को नन्दकिशोर बाबू ने फोन पर सूचित किया कि परीक्षण में शशीप्रभा नहीं आयी तो उसके बाद महेन्द्र व उसका लड़का काफी खोजबिन किया, परन्तु उसका पता नहीं चला। दिनांक 07.01.2009 को सुबह में गॉव के लोगों व लड़के के साथ खोजने निकले तो गंगआहर में आए तो देखा कि एक लाल–पीला रंग की साड़ी, हरे रंग का साया तथा उजला स्वेटर फेंका हुआ है, जिसे मैंने पहचाना और पाया कि यह शशीप्रभा का हीं है, कुछ दक्षिण होकर पाया कि कच्चा मट्टी में एक महिला का लाश गड़ा हुआ है और उसका हांथ मिट्टी में निकला हुआ है, जिस हांथ में लाल रंग का चुड़ी एवं उजला रंग का धागा, चुड़ी में मिला तब मुझे विश्वास हो गया कि कुछ अज्ञात अपराधी शशीप्रभा को अकेले पाकर पकड़कर बलात्कर करने का प्रयास किए है तथा विरोध करने पर गला दबाकर मार दिए है ओर उसके बाद जमीन में गार दिए है। पुलिस व दण्डाधिकारी के आने पर जब लाश उखाड़ा गया तो पुतोहु निःवस्त्र थी जिसे हम तथा हमारे परिवार के लोग देखकर पहचाने, लाश को बाहर निकालने पर देखा कि पुतोहु शशीप्रभा के गर्दन के पास खरोच तथा दोनों कान की बाली सोना का, छुछी, मंगलसूत्र तथा चान्दी का पायल नहीं है।

सूचक के दिए गए फर्दयान के आधार कुर्था थाना कांड संख्या 07/2009, दिनांक 07.01.2009, अन्तर्गत धारा 376, 302, 380, 201 भा0द0वि0 में अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्त अजय सिंह उर्फ अजय चन्द्रवंशी के विरूद्ध आरोप पत्र तथा अभियुक्तगण राम इकबाल यादव, प्रमोद मिस्त्री उर्फ भटहा एवं सतेन्द्र यादव के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र समर्पित किया गया।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में 11 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01. शिवपूजन सिंह का मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण दिनांक 18.11.0214 को और अभियेाजन साक्षी संख्या 02. महेन्द्र सिंह का मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण दिनांक 07.07.015 को हुआ। इन दोनों साक्षियों का बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया। वर्ष 2015 के बाद पहली बार बचाव पक्ष द्वारा इतने वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उक्त दोनों साक्षियों को पुनः तलब किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है और उक्त आवेदन में ऐसा कोई ठोस आधार दर्शित नहीं हुआ है, जिससे उक्त दोनों साक्षियों को पुनः तलब किया जाना आवश्यक दर्शित हो सके।

Web Copy, Jharkhand

लगातार
27.01.2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय कुमार बनाम् स्टेट ऑफ यू. पी. एवं अन्य 2012(1) जे0आई0सी0 630 (एस0सी0)** में अभिनिर्धारित किया है कि इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 311 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मामले के न्यायोचित निर्णय हेतु किया जाना चाहिए। गवाह को तलब करने के लिए जो व्यापक विवेकाधिकार की शक्ति न्यायालय को प्रदान की गई है, उसका प्रयोग न्यायिक ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति जितनी व्यापक होगी, न्यायिक मत के प्रयोग की आवश्यकता उतनी हीं अधिक होगी। इस शक्ति का प्रयोग किया जाए या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसा कि धारा में उपबन्धित है, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में तलब करने की शक्ति तब प्रयोग की जा सकती है, जब न्यायालय इस राय पर पहुॅचे कि ऐसे गवाह का परीक्षण मामले के न्यायपूर्व निर्णय के लिए आवश्यक है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों को पुनः तलब किए जाने हेतु बचाव पक्ष द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय बचाव पक्ष द्वारा दाखिल किया गया आवेदन दिनांक 12.01.2026 को स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं पाती है। तद्नुसार बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।

दिनांक 28.01.2026 वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु ।

(लेखापित)

अरुण कुमार शर्मा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद।

Web Copy, Jehanabad